अनुसूची–14 फारम संख्या–562।

न्यायालय भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता सदर दरभंगा

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक– बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत

सन्दर्भित वाद संख्या– 564 /2013–14

श्रीमति निलिमा कुमारी एवं एक अन्य बनाम श्रीमति मीरा महासेठ एवं एक अन्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, तारीख–सहित

अभिलेख आदेशार्थ उपस्थापित किया गया, अवलोकन किया।

इस वाद में (1) श्रीमति निलीमा कुमारी पति– सुनिल कुमार एवं (2) सुनिल कुमार पिता– स्व0 तारकेश्वर प्रसाद वर्मा निवासी मुहल्ला– अललपट्टी थाना– लहेरियासराय जिला– दरभंगा आवेदक तथा (1) श्रीमति मीरा महासेठ जौजे– स्व0 रामचन्द्र महासेठ एवं (2) राजेश कुमार पिता– स्व0 रामचन्द्र महासेठ निवासी मुहल्ला– बेंता थाना– लहेरियासराय जिला– दरभंगा विपक्षी पक्षकार हैं। विवाद के अन्तर्गत मौजे– खेराज जलकर बनकर महाल निजमत मरूफ अललपट्टी थाना नं0– 509 थाना– लहेरियासराय अन्तर्गत अद्योलिखित ब्योरे की भूमि है :–

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
19, 582, 575	813, 1254, 1255, 1256, एवं 1253	01 कट्ठा 11 धुर	उ0– मीरा महासेठ
			द0– श्रीमति शान्ति वर्मा
			पू0– राम इकवाल कुँवर
			प0– डी0 बी0 रोड

आवेदक के वाद पत्रनुसार प्रश्नगत भूमि दिनांक 22.12.1989 को श्रीमति राधा देवी पति– बलराम राम मुहल्ला खेराज जलकर बनकर मारूफ अललपट्टी अन्दर टाउन दरभंगा से सुनील कुमार के नाम खरीदगी भूमि है जिसका दाखिल खारिज होकर सुनील कुमार के नाम जमाबन्दी सं0– 85 अन्तर्गत रसीद कटती है एवं केवाला की तिथि से शान्तिपूर्ण दखल कब्जे में चला आ रहा है जो चाहरदिवारी से घिरा है और पश्चिम तरफ लोहे का गेट लगा है, लेकिन विपक्षीगण असमाजिक तत्वों के सहयोग से बलपूर्वक 34/35 वर्ष पूर्व से चली आ रही इनके शांतिपूर्ण दखल कब्जे वाली

31/05/14

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
	प्रश्नगत भूमि को अनाधिकृत रूप से दखल कब्जा कर बेदखल करना चाहते हैं। आवेदकों ने प्रश्नगत भूमि पर अपने अधिकारों का प्रख्यापन करने तथा विपक्षीयों को प्रश्नगत भूमि पर आवेदकों के दखल कब्जा में हस्तक्षेप करने से रोक लगाने तथा यदि पाया जाय कि विपक्षीगण प्रश्नगत भूमि से अनाधिकृत रूप से आवेदकों को बेदखल कर दिये हैं तो उसपर आवेदकों को पुनः दखल कब्जा स्थापित कराने का अनुरोध किया है। विपक्षीयों ने आवेदक के वाद पत्र को पोषणीय नहीं होना बताते हुए उल्लेख किया है कि आवेदक ने श्रीमति राधा देवी से 01 कट्ठा 10 धुर भूमि हीं खरीदा है और आवेदक नाजायज रूप से विपक्षीयों के शांतिपूर्ण दखल कब्जे में व्यवधान उत्पन्न करते हैं। विपक्षीयों का कहना है कि खाता नं0– 19, खेसरा नं0– 58 की 02 कट्ठा 11 धुर 12 कनवा भूमि दिनांक 15.07.1975 को श्रीमति राज रानी देवी से खरीद किया गया है। उसी प्रकार श्रीमति राधा देवी एवं श्रीमति शांति वर्मा ने भी दो अलग–अलग दस्तावेजों द्वारा खेसरा नं0– 582 से भूमि बयनामा कराया। राजरानी देवी एवं कौशल्या देवी ने संयुक्त रूप से दिनांक 18.05.1962 को शे0 म0 वजीर से खरीदा और कौशल्या देवी ने अपना हिस्सा उषा देवी एवं शांति वर्मा (आवेदक की माँ) को दिनांक 01.05.1975 केवाला कर दिया तथा राज रानी ने अपने हिस्से की भूमि दिनांक 15.04.1975 को श्रीमति मीरा महासेठ को केवाला कर दिया। तीनों क्रेता 02 कट्ठा 11 धुर 15 कनवा भूमि तीन पार्ट में केवाला कर दिया। बाद में सभी पक्षों के बीच mutual adjustment के अनुसार 01 कट्ठा 10 धुर पर प्रत्येक को आपसी सहमति से कब्जा हुआ जिसका दिनांक 01.04.1981 को लिखित arrangement का तीन सिडिउल बना जिसमें सिडिउल – A मीरा महासेठ के हिस्से में आवंटित हुआ, सिडिउल – B श्रीमति राधा देवी के हिस्से में तथा सिडिउल – C श्रीमति शांति देवी के हिस्से में आवंटित हुआ और सभी दखल–कब्जे में रहते आये और हैं। उभय पक्षों की ओर से प्रस्तुत दावे–प्रतिदावे का अनुशीन किया। स्पष्टया आवेदक सुनील कुमार ने प्रश्नगत भूमि दिनांक 22.12.1989 को श्रीमति को श्रीमति राधा देवी पति– बलराम राय से केवाला कराया है तथा उक्त 01 कट्ठा 11 धुर का दाखिल–खारिज होकर जमाबन्दी संख्या– 85 सुनील कुमार के नाम	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, ता,रीख–सहित
	चलती है एवं आवेदक राजस्व भुगतान कर रसीद प्राप्त करते हैं। कार्रवाई के दौरान आवेदक की ओर से दिनांक 20.12.2013 को आवेदन दिया गया कि विपक्षी बलपूर्वक प्रश्नगत भूमि को कब्जा करने पर अमादे हैं, अतएव अंतरिम आदेश द्वारा प्रश्नगत भूमि पर यथा स्थिति बनाये रखने का आदेश के साथ injuction लगाने का अनुरोध किया गया। वादी द्वारा अपने दावे के समर्थन में निम्न कागजात प्रस्तुत किया है। (1) निबंधित केवाला श्रीमति राधा देवी पति– श्री बलराम राय बनाम श्री सुनील कुमार पिता– स्व0 बाबू तारकेश्वर प्रसाद वर्मा दिनांक 22.12.1.89 (2) राजस्व रसीद निश्वत जमाबन्दी सं0– 85 सुनिल कुमार पिता– स्व0 बाबू तारकेश्वर प्रसाद वर्मा वर्ष 2001–2002 की छायाप्रति। विपक्षी द्वारा अपने दावा के समर्थन में निम्न कागजात प्रस्तुत किया है। (1) निबंधित केवाला श्रीमति राम रानी देवी बनाम मीरा महासेठ दिनांक 15.04.75 (2) भूमि का नक्शा (3) तीनों क्रय कर्त्ता के बीच भूमि वितरण का समझौता दिनांक 1.4.81 (4) दाखिल खरिज वाद में पारित दिनांक 2.7.91 का आदेश (5) हाल सर्वे खतियान की प्रति (6) केवाला बनाम रेणु रानी देवी दिनांक 18.05.62 उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों के अवलोकन तथा परिशीलन से यह ज्ञात होता है कि उभय पक्षों के बीच जिस प्रश्नगत भूमि का विवाद है। इस संदर्भ में दिनांक 01.04.1981 को पूर्व में हीं भूमि का वितरण (आपसी समझौता) हुआ था जिसमें Schedule A प्रश्नगत भूमि जिसका तौजी नं0– 3331 खाता नं0– 19, 582, खेसरा नं0– 813, 1253, 1254, 1256, रकवा– 01 कट्ठा 10 धुर उतर दिशा से चौहद्दी उ0– उषा देवी द0– राधा देवी, पू0– शेख कुद्दुस द0– डी0 बी0 रोड इसी प्रकार Schedule B की भूमि राधा देवी को दिया गया है। जिसमें भूमि का विवरणी तौजी नं0– 3331 खाता नं0– 19, 582 खेसरा नं0– 813, 1254, 1256 रकवा– 01 कट्ठा 10 धुर मध्य में जिसकी चौहद्दी उ0– मीरा महासेठ, द0– शांति वर्मा, पू0– शेख कुद्दुस प0– डी0 बी0 रोड इसी प्रकार Schedule C से	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
	श्रीमति शांति वर्मा को दी गयी भूमि जो तौजी नं0– 3331 खाता नं0– 19, 582 खेसरा नं0– 813, 1254, 1256, रकवा– 01 कट्ठा 10 धुर चौहद्दी उ0– राधा देवी द0– संयुक्त भूमि 02 कट्ठा 10 धुर नू0– डॉ विरेन्द्र सिंह एवं कुद्दुस प0– डी0 बी0 रोड और इसी प्रकार Schedule D के द्वारा तीनों पक्षों के बीच जो भूमि रहीं उसका विवरणी इस प्रकार है तौजी नं0– 3331, खाता नं0– 19, 582 खेसरा नं0– 813, 1256 रकवा 02 कट्ठा 10 धुर तथा 15 धुर 04 धुरकी चौहदी उ0– श्रीमती शांति वर्मा द0– विरेन्द्र सिंह पू0– श्री विरेन्द्र सिंह प0– डी0 वी0 रोड का आपसी समझौता जो सभी क्रयकर्त्ता के बीच दिनांक 01.04.1981 को हुआ जिसपर सभी क्रयकर्त्ता का हस्ताक्षर है। साथ ही आवेदक द्वारा आरोपित तथ्यों की स्थिति स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है कि सीमांकन नहीं होने के कारण हीं दोनों पक्षों मे विवाद है। उपर्युक्त विचारोपरान्त आवेदक के दावे की भूमि जो केवाला एवं आपसी समझौता से प्राप्त है के आलोक में सीमांकन होना आवश्यक है तथा आवेदक द्वारा इस न्यायालय से माँगी गई अनुतोष जायज एवं पोषणीय है। ऐसी स्थिति में वादी के आवेदन को स्वीकृत किया जाता है एवं अंचल अधिकारी, सदर, दरभंगा को आदेश दिया जाता है कि वे वादी से नियमानुसार नापी शुल्क जमा करा कर उभय पक्षों की उपस्थिति में वाद–पत्र में वर्णित (केवाला एवं आपसी समझौता दिनांक– 01.04.1981 के आधार पर) भूमि का सीमांकन थानाध्यक्ष, लहेरियासराय से समन्वय स्थापित कर सीमांकन कराना सुनिश्चित करेंगे। आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, सदर, दरभंगा एवं थानाध्यक्ष लहेरियासराय को भेजें। यह आदेश बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 की धारा 4 (ज) के तहत प्रदत् शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारित किया जाता है। **लेखापित एव शुद्धित** 31/05/14 **भू0 सु0 उप समाहर्त्ता** **सदर, दरभंगा** 31/05/14 **भूमि सुधार उप समाहर्त्ता** **सदर, दरभंगा**	